ड्राईविंग लाईसेंस का नवीनीकरण

I आधार

प्रत्येक ड्राईविंग लाईसेंस को उसकी प्रभावी अवधि के समाप्त होने के 30 दिन के भीतर नवीनीकरण कराना होता है।

II अवधि

यदि ड्राईविंग लाईसेंस की प्रभावी अवधि के समाप्त होने के 30 दिन के भीतर नवीनीकरण नहीं कराया जाता है तो, ड्राईविंग लाईसेंस का नवीनीकरण इसके नवीनीकरण किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।

III प्रक्रिया

ड्राईविंग लाईसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उस क्षेत्र में, जिसमें प्रार्थी सामान्यतया निवास करता है या व्यवसाय करता है, अधिकारिता रखने वाले लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को प्ररूप 9 में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हुए, किया जायेगा :–

1. आवेदक के नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो की तीन प्रतियाँ

2. ड्राईविंग लाईसेंस (मूल)

3. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 32 के अनुसार फीस –
   फॉर्म 6 में नवीनीकरण पर – 50 रूपये
   फॉर्म 7 में नवीनीकरण पर – 200 रूपये

4. परिवहन वाहनों एवं गैर परिवहन वाहनों के ऐसे आवेदक जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, के ड्राईविंग लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु प्ररूप संख्या 1–ए में मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि सरकारी सेवारत चिकित्सक द्वारा जारी किया जाएगा।

5. यदि नवीनीकरण करने वाली लाईसेंसिंग ऑथोरिटी, ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने वाले मूल लाईसेंसिंग ऑथोरिटी नहीं है तो नियम 4 के अनुसार निवास स्थान प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

इस प्रकार नियमानुसार प्राप्त आवेदन के आधार पर ड्राईविंग लाईसेंस का नवीनीकरण कर दिया जायेगा।

प्ररूप 9 (नियम 18 (1) देखिये)
चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के लिए स्थान

1. मैं श्री /श्रीमती/कुमारी ....
जो .... का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री हूं

अपनी चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन कर रहा हूं/रही हूं जो इसके साथ संलग्न है तथा जिसकी विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं –

(क) संख्यांक ....
(ख) जारी करने की तारीख ....
(ग) अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई थी ....
(घ) अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति का पिछली बार नवीकरण किया गया था, नवीकरण का संख्यांक और तारीख ....
(ड.) चलाने के लिए प्राधिकृत यान का वर्ग ....
(च) चालन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख ....
(1) परिवहन यान .... (2) परिवहन यान से भिन्न यान ....

मेरा वर्तमान पता .... है।

यदि अनुज्ञप्ति संलग्न नहीं की गई है, तो कारण बताएं कि क्यो वह उपलब्ध नहीं है ....

यदि अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर नवीकरण नहीं किया गया था, तो विलम्ब के कारण।

अनुज्ञप्ति का नवीकरण किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नामंजूर नहीं किया गया है।

मुझे चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या प्राप्त करने के लिए निरर्हित नहीं किया गया है। मेरी अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत नहीं की गई हैं

मैं चिकित्सा आरोग्यता प्रमाण पत्र [1](प्ररूप–1–क) में संलग्न करता हूं।

मैने .... रूपये की फीस का संदाय कर दिया है।

मै अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सहीं हैं।

तारीख ....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
नाम ....
पता ....